न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–111/2026

अलौली थाना काण्ड सं0–12/2008

देवो महतों एवं अन्य – बनाम् – राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

16.03.2026

आवेदक/अभियुक्तगण–**1. देवो महतों, 2. मनोज महतों, 3. राजेश महतों एवं 4. फूदीया देवी** की ओर से अलौली थाना काण्ड सं0–12/2008, धारा–341, 323, 504/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका के अधीन, यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो शपथ–पत्र से समर्थित है, को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री निरज कुमार के द्वारा प्रचालित किया गया। मूल काण्ड दैनिकी प्राप्त है।

अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित धारा–308 भा0दं0वि0 को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय हैं तथा उक्त धारा आवेदकगण के विरूद्ध नहीं बनता है। आवेदकगण पुलिस जमानत पर हैं। आवेदकगण धारा–482 BNSS के अधीन सभी नियमों व शर्तों को मानने को तैयार है तथा उसके फरार होने की संभावना नहीं है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया, साथ–ही–साथ सूचक के निजी विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा भी जमानत का घोर विरोध किया गया।

सूचक के लिखित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 15.01.2008 को देवो महतो का बच्चा और सूचक के बच्चे के साथ करीब बारह बजे दिन में खलने के कम में झगड़ा हुआ था तो उसकी पत्नी अनिता देवी और माँ दाना देवी दोनों बच्चे को छुड़ाने गये और छुड़ा कर ले आ रहे थे कि मनाजे महतो एवं राजेश महतो उनकी माँ को गाली–गलौज, धक्का–मुक्की एवं लप्पड़–थपपड़ से मारपीट दिया। सूचक घटना के बारे में उनके घर पर कहने गये तो देवो महतो उसे मारने के लिए बोला तो मनोज महतो सूचक के उपर लाठी चला दिया, जो सिर पर लगा। बचाने पत्नी आई

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–111/2026
अलौली थाना काण्ड सं0–12/2008

लगातार
16.03.2026

तो राजेश महतो सूचक की पत्नी के उपर लाठी चला दिया, जो सिर में लगा। देवो महतो, फुदिया देवी मिलकर मारपीट किया।

उभय पक्षों को सुना। काण्ड दैनिकी एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध विद्वान् मुख्य न्या0 दण्डा0, खगड़िया द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2008 के आलोक में अन्तर्गत धारा–341, 323, 308, 504/34 भा0द0वि0 के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–28 के अनुसार, आवेदक अभियुक्तगण को बंध–पत्र दाखिल किये जाने पर जमानत पर मुक्त किया गया है, इसलिए उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किये जाने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है, ऐसी दशा में यह उचित होगा कि आवेदक/अभियुक्तगण संबंधित विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करे।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पर आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि यदि आवेदकगण आदेश प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत हेतु प्रार्थना करते हैं, तो संबंधित विचारण न्यायालय इस आदेश से प्रभावित हुये बिना, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के गुण–दोष के आधार पर उनके नियमित जमानत आवेदन का निस्तारण करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	16.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	28.03.26
Uploading by	Nikhil Kumar (D.E.O)